भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण Insurance Regulatory and Development Authority of India

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> Press Release

सिद्धांत-आधारित विनियमों की दिशा में अग्रसरण Moving towards principle based regulations

प्रथम समेकित विनियम की अधिसूचना Notification of first consolidated regulation

अनुकूल व्यवसाय परिवेश को बढ़ावा देने और परिचालनगत निर्णय पर्याप्त लचीलेपन के साथ लेने में बीमा कंपनियों के बोर्डों को सशक्त बनाने के लक्ष्य से युक्त महत्वपूर्ण अग्रसरण में आईआरडीएआई ने मार्च, 2023 में प्रबंधन-व्ययों (ईओएम) और कमीशनों के भुगतान से संबंधित विनियमों का संशोधन किया था। इन संशोधनों का लक्ष्य साधारण और स्वास्थ्य बीमा खंडों के लिए कंपनी स्तर पर (पूर्व के खंडीय स्तर से) ईओएम सीमाओं की उच्चतम सीमाएँ निर्धारित करने के द्वारा परिचालनगत लचीलेपन और निगरानी के बीच एक संतुलन उत्पन्न करना, तथा जीवन बीमा के लिए प्रक्रिया की निगरानी को सरल और कारगर बनाना था। यह पहल उस व्यापकतर विनियामक पुनःकल्पन (ओवरहाल) का भाग है, जो सिद्धांत-आधारित विनियमों और विनियामक निर्धारणों के वर्तमान विन्यास को सुप्रवाही बनाने की दिशा में संक्रमण करने के उद्देश्य से प्रेरित है।

वर्तमान में, बीमा क्षेत्र के लिए एक अधिक सुसंगत और कुशल विनियामक रूपरेखा को सुनिश्चित करते हुए विनियमों की एक व्यापक रूप से समीक्षा और समेकन करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रथम समेकित विनियम, आईआरडीएआई (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024, 23 जनवरी, 2024 को अधिसूचित किया गया है।

यह समेकन विनियामक परिदृश्य को सरल बनाने और बीमा कंपनियों पर अनुपालन के भार को कम करने की प्रतिबद्धता का एक साक्षी है। यह कदम न केवल पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ाता है, बिल्क बीमाकर्ताओं के लिए प्रभावी तौर पर एक गितशील व्यावसायिक परिदृश्य का संचालन करने के लिए आवश्यक लचीलापन भी उपलब्ध कराता है।

जैसे-जैसे उद्योग विकसित होता है, अग्रदर्शी चिंतन से युक्त यह दृष्टिकोण पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ ही, नवोन्मेषण और प्रतिद्वंद्विता को प्रोत्साहित करते हुए एक अधिक सुदृढ़ और अनुकूलनशील बीमा क्षेत्र के लिए आधारभूत कार्य प्रस्तुत करता है।

In a significant move aimed at promoting a favorable business environment and empowering boards of insurance companies in taking operational decisions with sufficient flexibility, IRDAI had amended the regulations pertaining to expenses of management (EoM) and payment of commissions in March, 2023. These amendments aimed to strike a balance between operational flexibility and oversight by capping the EoM limits at the company level (from the erstwhile segmental level) for general and health insurance segments, and streamlining the monitoring process for life insurance. This initiative is part of a broader regulatory overhaul, driven by the objective of transitioning towards principle-based regulations and streamlining the existing array of regulatory stipulations.

Currently, efforts are underway to comprehensively review and consolidate regulations, ensuring a more coherent and efficient regulatory framework for the insurance sector. As a result, the first consolidated regulation, **IRDAI (Expenses of Management, including Commission, of Insurers) Regulations, 2024** has been notified on 23rd January, 2024.

This consolidation is a testament to the commitment of simplifying the regulatory landscape and reducing the burden of compliance on insurance companies. The move not only enhances transparency and accountability but also provides insurers with the flexibility needed to navigate a dynamic business landscape effectively.

As the industry evolves, this forward-thinking approach lays the groundwork for a more robust and adaptable insurance sector, fostering innovation and competitiveness while ensuring the protection of policyholders' interests.
